चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

पत्रांक : लेखा/275
दिनांक : 10.6.2019

सेवा में,

आचार्य / आचार्या
.....
.....

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है, कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 की लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2012–13 तक बहुत बडी धनराशि अग्रिमों के रूप में दिये जाने तथा अब तक समायोजन न किये जाने की गम्भीर आपत्ति की है। जिस पर शासन स्तर पर गठित विधान मण्डल समिति कें स्तर पर समीक्षा की जा रही है।

मा0 कुलपति जी द्वारा इन प्रकरणों की समीक्षा की गयी। यहॉ संज्ञान में आया है, कि महाविद्यालयों द्वारा जो समायोजन हेतु बिल प्रस्तुत किये गये हैं उनमें प्रायः त्रुटियॉ है या प्रकरणों से सम्बन्धित आदेशों को संलग्न नहीं किया गया है। अतः मा0 कुलपति जी द्वारा आपसे यह अपेक्षा की गयी है कि स्वयं विस्तृत समीक्षा कर लें। परीक्षा विभाग स्तर पर लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में उपकुलसचिव(परीक्षा) से सम्पर्क कराकर तथा लेखा विभाग स्तर पर लम्बित प्रकरण सहा0 कुलसचिव(लेखा) से सम्पर्क कराकर अधिकतम एक माह के अन्दर अग्रिमों समायोजन किया जाना सुनिश्चित करें। परीक्षा विभाग में बिलों के अग्रसारण में आ रही कठिनाई के सम्बन्ध में परीक्षा नियत्रंक / कुलसचिव से सम्पर्क कर, लेखा विभाग में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी से सम्पर्क कर समायोजन सुनिश्चित करायें फिर भी यदि कठिनाईयॉ आती हैं तो तत्काल वित्त अधिकारी / कुलसचिव की मेल पर अवगत करायें।

इस सम्बन्ध में 26 जुलाई 2019 से महाविद्यालय वार बैठक आहुत की जायेगी। जिसमें तथ्यों के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। इस प्रक्रिया में शिथिलता बरतने वाल महाविद्यालयों के खिलाफ धनराशि के दुरूपयोग के आधार पर कठोर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक–प्रति–कुलपति को प्रति–कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।

वित्त अधिकारी